न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कोटपूतली बहरोड़

पीठासीन अधिकारी कल्पना अग्रवाल आई.ए.एस

प्रकरण संख्या : ......13/2025 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

दि नैनीताल बैंक लिमिटेड, शाखा कोटपूतली अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री दयाल सिंह रावत।

.............प्रार्थी कम्पनी/सिक्योर क्रेडियर

बनाम

1. मैसर्स श्याम क्लॉथ स्टोर (प्रोपराईटर/ऋणी)
   जरिये प्रोपराईटर श्री दिनेश कुमार गोयल
   दुकान पता –पुरानी सब्जी मंडी, मैन मार्केट, कोटपुतली, जिला कोटपुतली–बहरोड (राज.)–303108
2. श्री दिनेश कुमार गोयल पुत्र श्री जगदीश प्रसाद गोयल (प्रोपराईटर/ऋणी)
   पता – वार्ड नं. 7 मौहल्ला बूचाहेड़ा, गढ कॉलोनी, कोटपूतली, जिला कोटपुतली–बहरोड (राज.)–303108
3. श्रीमती अंगुरी देवी पत्नी श्री जगदीश प्रसाद गोयल (जमानतदार)
   पता – वार्ड नं. 7, गढ कॉलोनी, कोटपूतली, जिला कोटपुतली–बहरोड (राज.)–303108
4. श्री अशोक कुमार गोयल पुत्र श्री जगदीश प्रसाद गोयल (जमानतदार)
   पता – मकान नं0 8 बी, गढ कॉलोनी, कोटपूतली, जिला कोटपुतली–बहरोड (राज.)–303108
5. श्री जगदीश प्रसाद गोयल पुत्र श्री प्रभुदयाल (जमानतदार)
   पता – वार्ड नं. 7, गढ कॉलोनी, कोटपूतली, जिला कोटपुतली–बहरोड (राज.)–303108

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा –14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंसियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट ऐक्ट – 2002, जिसे एतद पश्चात एक्ट से संबोधित किया गया है, बंधक सम्पत्ति का कब्जा सुपुर्दगी बाबत।

उपस्थितः–राजकुमार दीक्षित अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

दिनांक 04.03.2025

आदेश

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी कम्पनी एक गैर बैंकिंग वित्तिय संस्थान हैं, जो रिजर्व कम्पनी ऑफ इण्डिया एवं नेशनल हाउसिंग बोर्ड के नियमों के अर्न्तगत सरफैसी अधिनियम 2002 के अन्तर्गत कार्यवाहियॉ करने के लिए अधिकृत हैं। जिसे उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थी के रूप में प्रस्तुत एवं उद्‌बोधित किया गया हैं। प्रार्थी कम्पनी की तरफ से अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री दयाल सिंह रावत को न्यायालय एवं अर्द्ध–न्यायालय, सरकारी एवं गैर सरकारी में समस्त विधिक कार्यवाहियॉ करने के लिए जरिये बोर्ड प्रस्ताव से अधिकृत किया गया हैं। प्रार्थी द्वारा ऋणी से धारा 13(2) के तहत मांगी गई राशि में 11,00,000/–(अक्षरे ग्यारह लाख मात्र) जो कि खाता संख्या **1076000000000022** व राशि 66,994 /- (अक्षरे छियासठ हजार नौ सौ चौरानवे रूपये मात्र) जो कि खाता संख्या **1075540000000012,** कुल राशि 11,66,994/– (अक्षरे ग्यारह लाख छियासठ हजार नौ सौ चौरानवे रूपये मात्र) का ऋण स्वीकृत किया था। उक्त ऋण राशि निम्न परिसम्पति, प्रतिभूति करार के अन्तर्गत प्रतिभूति आस्ति से रक्षित है। अप्रार्थी/ऋणी ने उक्त अचल सम्पत्ति आबादी भूमि, मधुकर कॉलोनी (गढ), कोटपूतली में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 197.22 वर्गगज है, जो कि श्रीमती अंगुरी देवी पत्नी श्री जगदीश प्रसाद गोयल के नाम से है। अप्रार्थी/ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को नियमानुसार ऋण भुगतान ना करने पर कम्पनी/बैंक के द्वारा नियमानुसार दिनांक 30.06.2021 को अनर्जक परिसम्पति (एन.पी.ए.) वर्गीकृत कर दिया गया था। उक्त ऋण खाता को एन.पी.ए घोषित होने के कारण एक्ट की धारा 13(2) के अंतर्गत प्रार्थी कम्पनी/बैंक द्वारा ऋणी/अप्रार्थी एवं सहऋणी को दिनांक 12.09.2024 एवं रजि0 दिनांक 19.09.2024 के रजिस्टर्ड नोटिस भिजवाये गये, अप्रार्थीगण को प्रेषित नोटिस प्राप्त हो गया उक्त नोटिस की जानकारी अप्रार्थीगण को उनके ज्ञात पते पर हो चुकी थी। परन्तु अप्रार्थीगण ने नोटिस की मियाद निकलने के पश्चात भी आज प्रार्थना पत्र दायरी तक अप्रार्थीगण द्वारा सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करवाई गई। तत्पश्चात प्रार्थी कम्पनी/बैंक ने दो स्थानीय अखबार फाइनेंनसियल एक्सप्रैस (अंग्रेजी) एवं जनसत्ता (हिन्दी) संस्करण में 13 (2) सरफेसी अधिनियम 2002 के नोटिस का प्रकाशन दिनांक 29.09.2024 को करवाया जो कि अप्रार्थीगण को उक्त प्रकाशन से प्राप्त हो जाने पर भी अप्रार्थीगण ने नोटिस की मियाद निकलने के पश्चात भी आज प्रार्थना पत्र दायरी तक अप्रार्थीगण द्वारा सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करवाई गई एवं ना ही बन्धकशुदा सम्पत्ति का सम्पूर्ण वास्तविक कब्जा प्रार्थी कम्पनी को दिया गया, जिस पर बन्धक सम्पत्ति का वास्तविक एवं भौतिक कब्जा प्राप्त करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी कम्पनी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर–अन्दर ऋण राशि 14,53,641/– (अक्षरे चौदह लाख

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर)
कोटपूतली-बहरोड़ (राज.)

तरेपन हजार छह सौ इकतालीस रूपये मात्र) दिनांक 05.09.2024 तक ब्याज शामिल करतें हुए तथा इसके आगे का ब्याज व अन्ये खर्चे पृथक से जमा कराना हैं, परन्तु ऋणी एवं सहऋणी ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट के प्रावधानों के अनुसार कब्जे व नीलामी की कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत प्रतिभूत आस्ति को अपने कब्जे या नियन्त्रण में लेकर प्रतिभूति लेनदार (कम्पनी/बैंक) को सुपुर्द करने का अधिकार प्राप्त है। प्रार्थी कम्पनी/बैंक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा उक्त एक्ट की धारा 14 के अनुसार ऋणी/सह–ऋणी से प्रार्थी कम्पनी को दिलाने के आदेश फरमाने की कृपा करे।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है । प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्थान ने अप्रार्थीगणों को ऋण खाता संख्या **1076000000000022** व राशि 66,994 **/-** (अक्षरे छियासठ हजार नौ सौ चौरानवे रूपये मात्र) जो कि खाता संख्या **1075540000000012,** कुल राशि 11,66,994/– (अक्षरे ग्यारह लाख छियासठ हजार नौ सौ चौरानवे रूपये मात्र) स्वीकृत कर ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल रूपये 14,53,641/– (अक्षरे चौदह लाख तरेपन हजार छह सौ इकतालीस रूपये मात्र) जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 12.09.2024 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नही दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नही किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति को कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

4 अतः **The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002** की धारा 14 में प्रदत्त शाक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती मैसर्स श्याम क्लॉथ स्टोर (प्रोपराईटर/ऋणी) जरिये प्रोपराईटर श्री दिनेश कुमार गोयल, श्री दिनेश कुमार गोयल पुत्र श्री जगदीश प्रसाद गोयल (प्रोपराईटर/ऋणी) श्रीमती अंगुरी देवी पत्नी श्री जगदीश प्रसाद गोयल (जमानतदार) श्री अशोक कुमार गोयल पुत्र श्री जगदीश प्रसाद गोयल (जमानतदार) श्री जगदीश प्रसाद गोयल पुत्र श्री प्रभुदयाल (जमानतदार) निवासीयान गढ कॉलोनी, कोटपूतली, जिला कोटपुतली–बहरोड़ (राज.)–303108 के स्वामित्व की अचल सम्पत्ति आबादी भूमि, मधुकर कॉलोनी (गढ कॉलोनी), कोटपूतली में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 197.22 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

5 आदेश की प्रति संबंधित पुलिस अधीक्षक कोटपूतली–बहरोड़ को भेज कर लिखा जावे कि उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करे एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें।

6 आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

7 आदेश आज दिनांक 04.03.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(कल्पना अग्रवाल)
जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर)
कोटपूतली-बहरोड़ (राज.)